भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1989
दिनांक 05 अगस्त, 2026 / 14 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

एसडीआरएफ तथा एनडीआरएफ के अंतर्गत जारी की गई वित्तीय सहायता

1989 श्री जोस के. मणिः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा उपलब्ध है;
(ख) यदि हाँ, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केरल को आपदा प्रभावित समान परिस्थितियों वाले राज्यों की तुलना में कम वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; और
(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय क्या हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1989, दिनांक 05.08.2026

विगत पाँच वर्षों अर्थात् 2021-22 से 2025-26 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत आवंटित और जारी धनराशि का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ के अंतर्गत निधियों का आवंटन संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन समय-समय पर गठित वित्त आयोग द्वारा अपनी-अपनी पुरस्कार अवधि (Award Period) के लिए की गई अनुशंसाओं के आधार पर किया जाता है। इन निधियों का निर्गमन तथा उनका उपयोग गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी मदों (Items) और मानकों (Norms) एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाता है। सहायता के ये मद एवं मानक क्रमिक वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। इस समीक्षा प्रक्रिया में संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार निर्धारित सहायता के मानक केरल राज्य सहित देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से लागू होते हैं।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1989, दिनांक 05.08.2026

अनुलग्नक-I

वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ़) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ़) के अंतर्गत निधि का राज्यवार आवंटन और रिलीज को दर्शाने वाला विवरण।

(करोड़ रु में)

क्र. सं.	राज्य	एसडीआरएफ़ से केंद्र और राज्य के हिस्से सहित आवंटन					एसडीआरएफ़ से केन्द्रीय हिस्सा जारी					एनडीआरएफ़ से जारी (सभी आपदाओं के लिए)				
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1.	आंध्र प्रदेश	1192.80	1252.80	1315.20	1380.80	1449.60	895.20	940.00	987.20	1036.00	1088.00	351.43	--	--	56.90	132.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	222.40	233.60	245.60	256.80	270.40	200.00	210.40	220.80	115.60	358.80	--	--	--	--	34.54
3.	असम	686.40	720.80	756.80	795.20	834.40	617.60	648.80	680.80	716.00	751.20	--	250.00	--	29.02	722.36
4.	बिहार	1510.40	1586.40	1664.80	1748.00	1836.00	1132.80	1189.60	1248.80	1311.20	1376.80	1038.96	--	--	--	76.70
5.	छत्तीसगढ़	460.80	484.00	508.00	533.60	560.00	345.60	181.60	181.60	380.80	610.00	--	--	--	33.24	--
6.	गोवा	12.00	12.80	12.80	13.60	15.20	9.60	9.60	9.60	10.40	11.20	--	--	--	31.50	--
7.	गुजरात	1412.00	1482.40	1556.80	1635.20	1716.00	1059.20	556.00	1140.00	600.00	2497.60	1000.00	--	--	--	492.09
8.	हरियाणा	524.00	550.40	577.60	606.40	636.80	392.80	412.80	433.60	455.20	477.60	--	--	--	--	26.24
9.	हिमाचल प्रदेश	363.20	380.80	400.80	420.00	441.60	327.20	342.40	360.80	378.40	397.60	--	214.26	787.25	84.56	1890.09
10.	झारखंड	605.60	635.20	667.20	701.60	736.00	454.40	--	476.80	1027.20	552.00	200.00	--	--	--	77.69
11.	कर्नाटक	843.20	885.60	929.60	976.00	1024.80	632.80	664.00	697.60	732.00	768.80	1623.30	939.83	--	3528.45	98.98
12.	केरल	335.20	352.00	369.60	388.00	408.00	251.20	264.00	277.60	291.20	306.40	--	--	--	--	162.23
13.	मध्य प्रदेश	1941.60	2038.40	2140.80	2248.00	2360.00	1456.00	1528.80	1605.60	1686.40	1770.40	600.50	--	--	--	208.01
14.	महाराष्ट्र	3436.80	3608.80	3788.80	3978.40	4176.80	2577.60	2706.40	2841.60	2984.00	3132.80	1056.39	--	--	--	322.21
15.	मणिपुर	37.60	39.20	41.60	44.00	45.60	33.60	35.20	18.80	50.00	49.60	--	--	--	12.15	143.23
16.	मेघालय	58.40	60.80	64.80	67.20	71.20	52.80	27.20	27.20	59.60	60.00	--	--	--	11.98	--
17.	मिजोरम	41.60	43.20	46.40	48.00	50.40	37.60	39.20	41.60	43.20	45.60	--	--	--	18.36	14.40
18.	नागालैंड	36.80	38.40	40.80	42.40	44.80	32.80	34.40	36.80	38.40	40.00	--	107.31	--	181.81	183.65
19.	ओडिशा	1711.20	1796.80	1886.40	1980.80	2080.00	1283.20	1348.00	1415.20	1485.60	1560.00	500.00	--	--	45.09	60.16
20.	पंजाब	528.00	554.40	582.40	611.20	642.40	396.00	416.00	436.80	458.40	481.60	--	--	--	29.60	39.47
21.	राजस्थान	1580.00	1659.20	1742.40	1828.80	1920.00	1184.80	1244.80	1307.20	1372.00	1440.00	--	13.46	--	--	87.51
22.	सिक्किम	44.80	47.20	49.60	52.00	54.40	40.00	42.40	44.80	47.20	48.80	55.23	--	81.89	229.82	96.47
23.	तमिलनाडु	1088.00	1142.40	1200.00	1260.00	1322.40	816.00	856.80	900.00	944.80	992.00	566.36	--	--	360.09	534.32
24.	तेलंगाना	479.20	503.20	528.00	555.20	582.40	359.20	188.80	584.80	416.80	436.80	--	--	--	42.78	99.82
25.	त्रिपुरा	60.80	63.20	67.20	70.40	74.40	54.40	56.80	60.80	71.60	58.80	--	--	--	186.40	15.25
26.	उत्तर प्रदेश	2062.40	2165.60	2273.60	2388.00	2507.20	1546.40	812.00	1664.80	1748.40	2776.40	--	--	--	172.95	--
27.	उत्तराखंड	832.80	874.40	918.40	964.00	1012.00	749.60	787.20	826.40	434.00	911.20	--	--	--	21.30	291.15
28.	पश्चिम बंगाल	1078.40	1132.80	1189.60	1248.00	1311.20	808.80	849.60	892.00	936.00	983.20	350.13	--	--	84.77	--
कुल योग		**23186.40**	**24344.80**	**25565.60**	**26841.60**	**28184.00**	**17747.20**	**16392.80**	**19419.60**	**19830.40**	**24193.20**	**7342.30**	**1524.86**	**869.14**	**5160.77**	**5959.26**